न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः—102 / दावा / 2022 — दायरा दिनांक :— 06.10.2022

GCMS ID—2022 / 44

बउनवान

1. अमरा आ0 हजारी जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी

वादी

बनाम

1. कैलाश आ0 हजारी जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
2. छोटू आ0 हजारी जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
3. गोपी आ0 हजारी जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
4. पांची बाई पुत्री हजारी जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
5. मोडू आ0 रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
6. रामपाल आ0 रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
7. कैलाश आ0 रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
8. कालू आ0 रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
9. प्रहलाद आ0 रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
10. घीसीबाई पुत्री रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
11. नन्दूबाई पत्नि रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
12. पीरू आ0 प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
13. गुड्डी पुत्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
14. काली पुत्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
15. दुर्गाबाई पुत्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
16. फोरी बाई पुत्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली ज़िला बून्दी
17. नन्दा आ0 खाना जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
18. दुर्गालाल आ0 भूरया जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
19. ग्यारसा आ0 भूरया जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
20. घीस्या आ0 मांग्या जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
21. मनभरी पुत्री मांग्या जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
22. मोत्या बाई पुत्री मांग्या जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
23. रामस्वरूप आ0 मोतीलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
24. प्रहलाद आ0 मोतीलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
25. तेजमल आ0 रामचन्द्र जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
26. गोपाल आ0 मांगीलाल जाति तेली निवासी ग्राम बसोली तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
27. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी :— श्री शंभू दयाल शर्मा

वकील प्रतिवादीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक :—25 / 08 / 2025

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 1002 रकबा 0.0567 है0, 904 रकबा 0.3642 है0, 905 रकबा 0.0243 है0, 906 रकबा 0.2266 है0, 907 रकबा 0.0890 है, 908 रकबा 0.0243 है0, 909 रकबा 0.1538 है0, 910 रकबा 0.2833 है0, 911 रकबा 0.3885 है0, 912 रकबा 0.2104 है0, 986 रकबा 0.0890 है0, 987 रकबा 0.1052 है0, 988 रकबा 0.3237 है0, 993 रकबा 0.1862 है0, 995 रकबा 5827 है0, 996 रकबा 0.0647 है0, 997 रकबा 0.0971 है0, 998 रकबा 0.0890 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 3.3587 हैक्टर वाके ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो ग्राम बसोली की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की खतोनी सं0 69 मे वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में दर्ज है भूमि की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायात 10 के मूल पुरूष हजारी जी थे जिनकी मृत्यु हो गई है जिनके परिवार का सजरा पत्रावली अनुसार है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकरान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है और खाता शामलाती है। खाता शामलाती होने व शामलाती खाते के प्रत्येक खसरा नम्बर के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारो का हिस्सा व अधिकार होने की आड में प्रतिवादीगण वादी के हिस्से व खाते की भूमि पर दखलंदाजी करते है तथा वादी की काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के हिस्से व खाते की भूमि पर काश्त में दखलंदाजी करते है तथा वादी को अपने हिस्से की भूमि पर बेदखल करने की कुचेष्ठा करते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी कैलाश, छोटू, गोपी, मोडू वगैरह ने दिनांक 1.09.2022 को वादी को धमकी दी कि हम तेरे हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे तुझे बेदखल करेंगे और तुम्हारे हिस्से की भूमि पर तुम्हे रबी की फसल नहीं बाने देगें तब वादी ने प्रतिवादीगण से भूमि का बटंवारा कराने का आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण भूमि का बंटवारा कराने से इंकार हो गये तथा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से वादी को उक्त वाद का वाद कारण पैदा हुआ है। वादी वृद्ध व सीनियर सिटीजन व्यक्ति है जो प्रतिवादीगण से लडाई झगडा करने में सक्षम नहीं है ऐसी स्थिति में वादी के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर बंटवारा कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा हैं। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने व वादी को बेदखल करने तथा प्रतिवादीगण को उनके हिस्से से अधिक भूमि पर क़ब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करे एवं वादी के हिस्से व बंटवारे की भूमि पर दखलंदाजी नहीं करने, भूमि पर आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

चाह से सिंचाई करने में व्यवधान पैदा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार कंवरिया व देव्या नाओलाद फौत हो गये है जिनको पक्षकार नहीं बनाया है तथा सहखातेदार भूरिया की भी मृत्यु हो गयी है। भूमियो के वारिस प्रतिवादी सं0 18 व 19 है। बंटवारे के वाद में भूमिधारी राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिवादी सं0 27 बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अंतर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि–वाद पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा सं0 1002 रकबा 0.0567 है., 904 रकबा 0.3642 है., 905 रकबा 0.0243 है, 906 रकबा 0. 2266 है., 907 रकबा 0.0890 है., 908 रकबा 0.0243 है., 909 रकबा 0. 1538 है., 910 रकबा 0.2833 है., 911 रकबा 0.3885 है., 912 रकबा 0. 2104 है., 986 रकबा 0.0890 है., 987 रकबा 0.1052 है., 988 रकबा 0. 3237 है., 993 रकबा 0.1862 है., 995 रकबा 5827 है., 996 रकबा 0.0647 है., 997 रकबा 0.0971 है., 998 रकबा 0.0890 है., कुल किता 18 कुल रकबा 3.3587 हैक्टर वाके ग्राम बसोली में निहित वादी के हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का खाता पृथक कायम किया जावे एवं हिस्से, बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादी को स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे । वादी के हिस्से की बंटवारे में प्राप्त भूमि पर दखलंदाजी नहीं करने, जबरन कब्जा नहीं करने, भूमि परसे वादी को बेदखल नहीं करने व चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, रास्ते को अवरूध नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी को उपलब्ध एवं सुलभ हो प्रदान की जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 26 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 27 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। जबाव पेश नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 69 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली तहसील हिण्डोली पेश किये है व साक्ष्य में शपथ पत्र वादी अमरा तेली का पेश किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बहस वकील वादी सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहता हैं जिसका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 01.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व / 25 / 2076 दिनांक:– 07.07.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार ''विभाजन'' का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. अमरलाल पुत्र हजारी हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा0 देह खातेदार	906 में से	0.1538
	योग	किता– 1	0.1528
2.	1. बदस्तूर जमाबंदी खातेदार	905 908 912	0.0243 0.0243 0.2104
	योग	किता–3	0.2590
3.	1. बदस्तूर जमाबंदी खातेदार	904 में से	0.0232

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	शामलाती रास्ता		
	योग	किता–1	0.0232
4.	1. वादी को छोडकर शेष खातेदारान मुताबिक जमाबंदी अनुसार।	1002 904/1 904/3 906/1 906/3 907 909 910 911 986 987 988 993 995 996 997 998	0.0567 0.1705 0.1705 0.0483 0.0245 0.0890 0.1538 0.2833 0.3885 0.0890 0.1052 0.3237 0.1862 0.5827 0.0647 0.0971 0.0890
	योग	किता–17	2.9227

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियाँ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार मौकें पर पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली